


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-मावि के रूप में विभाग के कार्यरत निम्नांकित शिक्षा अधिकारियों के नाम के सम्मुख, कॉलम संख्या-03 में उल्लेखित अवधि का वेतन, कॉलम संख्या-04 में अंकित स्थान/विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-


क्रं.सं	नाम शिक्षा अधिकारी मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (सर्वश्री / श्रीमती...)	अवधि (माह से माह तक)	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	श्रीमती सन्तोष मूण्ड, सेठ सिन्धाराम रा आदर्श उमावि0 गोठडा नवलगढ झुंझुनूं	जुलाई-2018	राजकीय उमावि नरसास लक्ष्मणगढ जिला सीकर
2	श्रीमती प्रतिभा मोहन कौशिक, प्रधानाचार्य राउमावि अग्रवाल फार्म मान सरोवर जयपुर	जून-2018	राउमावि मुनीया खूटा सज्जनगढ जिला बासंवाडा

उक्त सभी कार्मिकों के द्वारा आलोच्य अवधि में किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अवकाश प्रकरण निस्तारण/ अवकाश स्वीकृति उपरान्त ही वेतन आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें, अन्यथा स्थिति मे वेतन आहरण नहीं किया जावे।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-2/वेतन व्यवस्था/2018/22 दिनांक :: 14-11--2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 सम्बन्धित सयुक्त निदेशक, संभाग मुख्यालय - माध्यमिक शिक्षा।
- 2 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/ ब्लाक जिशिअ सम्बन्धित जिला मुख्यालय।
- 3 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 4 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्मिक को वेतन आहरण की कार्यवाही हेतु।
- 5 रक्षित पत्रावली/ गार्ड पंजिका हेतु।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर